



AAI/NOG/2011/4501 48 S/S

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

BY REGD./SPEED POST

Dated: 12.01.2012

13

M/s G.S.S. Procon Pvt. Ltd.
C/o M/s Deepak Mehta & Associates
Plot no-16, Abhishek Plaza,
LSC, Mayapuri Vihar Phase-II
Delhi-110091

SUBJECT: NO OBJECTION CERTIFICATE - (FOR HEIGHT CLEARANCE ONLY)

Sir,

Please refer to your letter no. NIL dated 22/12/2011 on the subject mentioned above.

This office has no objection to the construction of the proposed Group Housing by M/s G.S.S. Procon Pvt. Ltd. herein after referred to as the applicant(s) at location Plot No-3H-01/C, Sector-143 B, Phase-III, Gurgaon, Haryana, India (Co-ordinates: 28 20 49 N 77 25 05 E) for a height of 80.00 Mts. (in figures) Eighty Decimal Zero Meters (in words) above ground level so that the top of the proposed structure when erected shall not exceed 199.00 Mts. (site elevation) plus (+) 80.00 Mts. (height of structure) = 279.00 Mts. above mean sea level.

This no objection certificate is being issued on the express understanding that the site elevation (height above mean sea level) viz 199.00 Mts. relative location of the proposed building/structure & its distances and bearings from ARPI/Runway ends, as tendered by the applicant(s) are correct. If, however, at any stage it is established that the said data as tendered & which could adversely effect aircraft operations, the structure or partial thereof in respect of which this 'No Objection Certificate' is being issued will have to be demolished at his own cost as may be directed by the Airports Authority of India. The Applicant(s) are therefore advised in his /their own interest to verify the elevation and other data furnished for the site, before embarking on the proposed construction.

The issue of this 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and those of any notifications issued there under from time to time and under which also the applicant may be called upon by the Airports Authority of India (National Airports Division) to demolish in whole or in part the structure now being authorized vide this 'No Objection Certificate'.

The use of electric fire or oil fired furnace is obligatory.

This certificate is valid for a period of five years from the date of issue. If the building /structure /chimney is not constructed & completed within the above mentioned period of five years, you will be required to obtain a fresh 'No Objection Certificate' from the Airports Authority of India (National Airports Division) and/or the General Manager, Aerodromes, Northern Region. The date of completion of the building /structure/chimney should be intimated to the Airports Authority of India and/or the General Manager, Aerodromes, Northern Region.

No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time during or after the construction of the building.

Day & Night markings with secondary power supply may be provided as per ICAO Standard.

The permissible top elevation/height includes height for superstructures (eg. Wireless, TV antennas, masts, lift machine room, overhead water tank ceiling towers etc.)

NOTE: THE SITE IS EXAMINED W.R.T IGI AIRPORT AND SAFDARJUNG AIRPORT ONLY.

Ramji
GENERAL MANAGER (ATM)
NORTHERN REGION

Copy to: 1. The Chairman, Airports Authority of India, Rajiv Gandhi Bhawan, SAP, N.D-03

2. The Chief Architect Town Planner, New Okhla Industrial Development Authority, Main Administration Building Sector-8, Noida-201301

3. The Chief Executive Officer, DIAL, New Uddan Bhawan, International Terminal-3, Opp. ATS Complex, IGI Airport, New Delhi-110037

4. The General Manager (Card), AAI, Rajiv Gandhi Bhawan, SAP, N.Delhi-110003

GENERAL MANAGER (ATM/NOG) NR

विक्री प्रोजेक्ट्स द्वारा गै0 ओम साई विल्डर्स प्लॉट-ए0-09 सेक्टर-पी0-03 ग्रेटर नोएडा जिल्ला निगमवली 1963 के नियम-52 के अधीन प्लॉट-जी0एच0-01/सी0 सेक्टर-143/बी0 एक्सप्रेसवे नोएडा जिल्ला गौतमबुद्धनगर क्षेत्र में साधारण मिटटी का खनन करने के लिए अनुज्ञा-पत्र देने के निमित्त प्रार्थना-पत्र दिया है आ 400/-रु0 (चार सौ) का प्रार्थना पत्र शुल्क तथा 25,317 घनमी0 सा0 मिटटी 9/-रु0 प्रति घनमीटर की दर 2,27,853/- एवं सा0 बालू 22/-रु0 प्रति घनमीटर की दर 27,680 घनमी0 स्वामित्व अंकन रु0 6,08,960/- प्रकाश कुल धनशायि अंकन 8,36,813/-रु0 अग्रिम भुगतान कर दिया गया है। एतद्वारा नीचे उल्लिखित जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक 19/9/2010 द्वारा आज से 03 माह की अवधि के भीतर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये हटाने की अनुज्ञा दी जाती है।

भूमि का खोरे

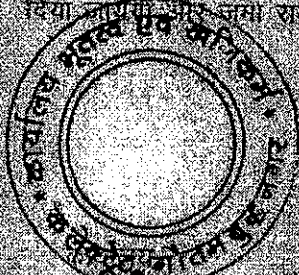
क्रम सां०	तहसील	प्लॉट संख्या	बैसमेंट एरिया का विवरण
1	दादरी	प्लॉट-जी0एच0-01/सी0 सेक्टर-143/बी0 एक्सप्रेसवे नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर	बैसमेंट एरिया 8400 वर्गमीटर है जिसकी की कुल गहराई 8.280 मीटर है।

स्थान: गौतमबुद्धनगर

दिनांक 26/9/2010 से 25/12/2011 तक

शर्तें

1. अनुज्ञापत्र धारक, राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के दावे की क्षतिपूर्ति करता रहेगा और उन प्रकार के दावे जिनके उत्पन्न होते ही स्वयं भुगतान निश्चित करेगा।
2. अनुज्ञापत्र धारक ऐसी शैली से खनिज निकालेगा जिससे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन न, भूदादि सार्वजनिक मूलस्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति तथा वृक्षों पर कोई बाधा न पड़े, या खसे क्षति न पहुंचे।
3. अनुज्ञापत्रधारक संग्रह किये गये सभी खनिजों का लेखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्ति प्राधिकारी को ऐसे लेखों के निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
4. उपखनिज का परिवहन जिलाधिकारी/खनन कार्यालय द्वारा निर्गत प्रपत्र एसएम-11 पर ही किया जाएगा।
5. अन्य शर्तें उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 1963 के अनुसार मान्य होगी।
6. अनुज्ञा पत्र में दी गयी मात्रा अथवा अवधि को भी पूर्व में घटित होगी तक मान्य होगी।
7. प्रत्येक 15 दिन में खनन की मात्रा का विवरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
8. एसएम-11 की हक के प्रयोग करने के तुरन्त बाद कार्यालय प्रतिघर्ण एवं अवधेय एसएम 11 कार्यालय के जमा करायेगा।
9. खनन कार्य इस प्रकार से किया जायेगा कि समीपवर्ती भू-भाग अथवा भवन व कार्यरत वास्तुओं को क्षति न पहुंचे और यदि क्षति होती है तो खननक समस्त हानिकारक भवितव्य द्वारा देय होगा।
10. यदि स्वीकृत खनन के अतिरिक्त अन्य उपखनिज का खनन हो तो इसका पुराना निरक्षण तब तक जारी रहेगा जब तक कि खनन न हो और अन्य उपखनिज के खनन की शर्तों का निरीक्षण होगा एवं उसे जमा करने के उपरांत ही खनन कार्य जारी जायेगा।
11. यदि अनुज्ञापत्रधारक दी गई शर्तों के अनुरूप कार्य न करके शर्तों का उल्लंघन करता है तो अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और जमा राशिकी राज्य सरकार के पक्ष में जमा कर ली जायेगी।



प्रमाणित अधिकारी (खनिज)
गौतमबुद्धनगर।

जिलाधिकारी

गौतमबुद्धनगर।

प्रमाणित 386/खनन लिपिक/09 दिनांक 26/9/2011

महिला

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिक, निदेशालय उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ।

2. जिलाधिकारी/आसुतिपिक गौतमबुद्धनगर।

3. चरित पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर।

4. उप जिलाधिकारी दादरी जिला गौतमबुद्धनगर को इस आशय से पेशित है कि स्थल निरीक्षण कर कि खनन कार्य इस प्रकार से हो रही शर्तों के अनुरूप हो रहा है। अथवा नहीं तो संबंध में सावधान हो।

5. स्थान निरीक्षक गौतमबुद्धनगर को इस आशय से पेशित है कि अनुज्ञा पत्र में स्वीकृत के दौरान स्थल निरीक्षण का कार्य हो।

6. आगमनस्थल, थाना, गौतमबुद्धनगर।

विक्री प्रोजेक्ट्स द्वारा गै0 ओम साई विल्डर्स प्लॉट-ए0-09 सेक्टर-पी0-03 ग्रेटर नोएडा जिल्ला निगमवली 1963 के नियम-52 के अधीन प्लॉट-जी0एच0-01/सी0 सेक्टर-143/बी0 एक्सप्रेसवे नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर।



26/9/11